न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,भरतपुर
पीठासीन अधिकारीः– श्री परशुराम धानका, आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 43/21 (223आर.टी.एक्ट.)
आरसीएमएस संख्या :– 71/2021

उनवान

1. मलखान पुत्र जहारिया जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.) –(मृतक)

1/1. भगवान सिंह पुत्र
1/2. मोहन सिंह पुत्र
1/3. मुकेश चन्द पुत्र
1/4. दुर्जन सिंह पुत्र
1/5. किरनदेई पुत्री
1/6. राजवती पुत्री
1/7. श्यामवती पुत्री
1/8. श्रीमती शीला पत्नी

} स्व0 मलखान जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

.... प्रतिवादी / अपीलांटस

बनाम

1. देवीसिंह
2. रामखिलाडी
3. पूरनसिंह

} पुत्रान सुक्खाराम } जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

-------------.------ वादीगण / रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. मौहरसिंह पुत्र नत्थी
5. भंवर सिंह पुत्र फूलसिंह
6. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र फूलसिंह
7. कमलसिंह पुत्र शंकर
8. श्यौदान पुत्र नत्थी
9. बदनसिंह पुत्र नत्थी
10. अंगूरी देवी पत्नी टुण्डे
11. हीरालाल पुत्र टुण्डे
12. प्रेम पुत्री टुण्डे
13. ग्यारसो पुत्री टुण्डे
14. मोती पुत्र किशनसिंह
15. सोहनलाल पुत्र किशनसिंह
16. हरीसिंह पुत्र किशनसिंह
17. रूपसिंह पुत्र औंकार सिंह
18. किशनसिंह पुत्र औंकार सिंह
19. रामप्रसाद पुत्र सांगल
20. रामजीलाल पुत्र रामसुख
21. मानसिह पुत्र रामसुख
22. गोपाल पुत्र झम्मन
23. हरीकिशन पुत्र झम्मन
24. भगवानसिंह पुत्र दुलीचन्द

समस्त जातियान माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

25. प्रेमसिंह पुत्र दुलीचन्द

26. रूकमणी पुत्री दुलीचन्द
27. सुशीला पुत्री दुलीचन्द
28. भगवती पुत्री दुलीचन्द
29. तेजसिंह पुत्र टीकम
30. रामसिंह पुत्र नत्थी

} समस्त जातियान माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर

31. एस. बी. आई शाखा नदबई जरिये प्रबन्धक

32. पी.एन.बी. शाखा नदबई जरिये प्रबन्धक

33. पी.एल.डी. बी. शाखा नदबई जरिये प्रबन्धक

34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

35. सब रजिस्ट्रार नदबई

.... प्रतिवादीगण / रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई दिनांक 11.09.2018 प्रकरण संख्या 179/2015 बउनवानी देवीसिंह वगै0 बनाम मोहरसिंह वगै0।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से वकील श्री गोविन्द सिंह डागुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (राज.)

निर्णय — दिनांकः– 31.7.2023

यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहायक कलक्टर नदबई निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2018 के विरूद्व पेश की गई है जो इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा मौहर सिंह वगै0 एवं अपीलांट के विरुद्व दावा में दर्ज विवादित आराजी की बाबत एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 54, 188 आर. टी. एक्ट तहरीर तारीखी 03.11.2015 को प्रस्तुत किया व अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन चाहा जिस पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8, 14, 15, 26 की ओर से रामकिशन पूनिया एडवोकेट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति हुऐ वाकी अन्य की ओर से भी अधिवक्ता उपस्थित हुऐ व कुछ के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई व कुछ ने इकबाल दावा प्रस्तुत किया। प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के बाद कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 15.06.2018 को आने के बाद मुताविक कुर्रा रिपोर्ट निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2018 को पारित करदी गई। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2018 खिलाफ पत्रावली एवं खिलाफ कानून होने से काबिले खारिज है। अपील होने जानकारी से अन्दर म्याद प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र दफा 5 म्याद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलांट को तलबी हेतु सम्मन दिनांक 04.11. 2015 को जारी हुऐ जिस पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट कि दावे की एक प्रति प्राप्त की और हस्ताक्षर नैमसिंह के किये गये और उसके नीचे मलखान के हस्ताक्षर है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में जो बकालतनामा अपीलांट की ओर से रामकिशन पूनिया एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया है उस पर मलखान की अंगूठा निशानी है जबकि सत्यता यह है कि अधीनस्थ न्यायालय से जारी सम्मन कोई भी अपीलांट को प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही उस पर कोई उसके हस्ताक्षर है और ना ही अंगूठा है। सम्मन पर वादीगण द्वारा तामील कुनिन्दा से मिलकर फर्जकारी करके फर्जी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तामील कराई है और बकालतनामा भी साजिशन अधिवक्ता रामकिशन पूनिया से प्रस्तुत कराया गया है। पेशकर्दा वकालतनामा पर मलखान के अंगूठा निशानी है जबकि अपीलांट द्वारा किसी भी अधिवक्ता को उक्त प्रकरण के लिए न तो नियुक्त किया है और ना ही अपने अंगूठा निशानीं लगाये और न ही अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ और न रामकिशन पूनिया अधिवक्ता को अपीलांट जानता है। उपरोक्त सारी कार्यवाही साजिशन की गई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलांट को नहीं थी अपीलांट को उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.09.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3 द्वारा गांव में खुलेआम धमकी देने से हुई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर नकल दिनांक 19.09.2020 को प्राप्त हुई है। इसलिए अपील होने जानकारी से अन्दर म्याद प्रस्तुत हैं। धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत है। उपरोक्त निर्णय एंव डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09. 2018 को पारित किया गया है जो मरे हुऐ व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है क्योंकि झम्मन पुत्र रामसुख प्रतिवादी का देहान्त आज से करीब 4 वर्ष पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्रीं के पूर्व ही हो चुका था उसके किसी वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया । उक्त दावा विवादित आराजी कुल किता 58 रकवा 10.37 हैक्टे वाके ग्राम झारकई तहसील नदबई की बाबत प्रस्तुत किया गया है। उक्त विवादित आराजी में कारे पुत्र डालू 1/4 हिस्से का सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त कारे को दावे में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया जो कि एक आवश्यक पक्षकार है जबकि कारे पुत्र डालू के नाम कुर्रा रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा कुर्रा नं. 3 कायम किया गया है। कुर्रा रिपोर्ट लेने से पहले किसी भी सह खातेदार को

राजस्व अपील ...
भरतपुर (राज.)

कोई सूचना कुर्रा रिपोर्ट तैयार करने की नहीं भिजवाई जो कि मैण्डेटरी प्रावधान है क्योकि कुर्रा रिपोर्ट भी सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में तैयार किया जाना आवश्यक है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एंव डिक्री काबिल निरस्ती के है। यह कि विभाजन के दावे में यह आवश्यक है कि विवादित आराजी के अच्छे में से अच्छी बुरी में से बुरी का विभाजन मीटस एण्ड बाउण्ड्स सिद्धान्त के आधार पर किया जाना आवश्यक है एवं विभाजन के नियम 18 से 21 राजस्व मण्डल की पालना किया जाना मैण्डेटरी है। नियम 18 से 21 की कतई पालना नहीं की गई। कुर्रा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व कोई नोटिस किसी भी सहखातेदार को नहीं दिया गया है। विवादित खसरा नम्बर कुल 58 है जबकि नजरी नक्शा कुर्रा रिपोर्ट में केवल 9 खसरा नम्बरान की बाबत ही तहसीलदार पटवारी हल्का व आई. एल. आर द्वारा तैयार किया गया है और कुर्रा रिपोर्ट में सारे नम्बर दिये गये है जबकि नियम 18 से 21 के मुताबिक सभी नम्बरान का वक्त कुर्रा रिपोर्ट नक्शा तैयार करना चाहिये और जो-जो खसरा नम्बर जिस-जिस सहखातेदार के हिस्से में आते है उनका अलग-अलग रंगों से नक्शे में चित्रण करना लाजमी था लेकिन नजरी नक्शे में कुल 9 नम्बर ही अंकित है इसलिए नियम 18 से 21 की पालना नहीं किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एंव डिक्री काबिल निरस्ती के है। खसरा नम्बर 538 झारकई से खेरिया मोड सडक पर स्थित है एव खसरा नम्बर 449 झारकई से ग्राम वाले रास्ते पर स्थित है एवं खसरा नम्बर 482 ग्राम के परिक्रमा मार्ग पर स्थित है व खसरा नम्बर 515 बंध के रास्ते पर व खसरा नम्बर 457 नरूआ वाले रास्ते पर तथा खसरा नम्बर 484, 516 495, 136 सभी रास्ते के सहारे स्थित है। जो कि एक अच्छी भूमि है उसमें से अपीलांट को कोई हिस्सा नहीं दिया गया है एवं अच्छी-अच्छी भूमि वादीगण व अन्य ने कुर्रे बनवा कर अपने नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

करा ली है जो कतई विपरीत है। विभाजन के दावे में यह आवश्यक है कि विवादित आराजी के अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी में से विभाजन करना लाजिमी था जबकि खसरा नम्बर 168 '116 सम्पूर्ण पर अपीलांट का कब्जा था जबकि खसरा नम्बर 168 से 0.12 ऐयर रकवा ही दिया गया है। अपीलांट को सम्पूर्ण रकवा दिया जाना चाहिये था जबकि अपीलांट को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार 04 ऐयर रकवा कम दिया गया है जो कि विभाजन नियमों के विपरीत है। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलव किया गया। रेस्पोंडेटस की तलवी जरिये रजिस्टर्ड एडी से होने पर एक माह पश्चात् वापस लौटकर न आने की सूरत में उनकी तामील पूर्ण मानी गई है। न तो रेस्पोंडेंटस और न ही उनकी ओर से कोई अभिभाषक/ वकील अदालत में हाजिर हुए है ।

3. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की अपील एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मयाद अधिनियम पर बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान दिलाते हुए एव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए दलील दी कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा वादीगण रेस्पोडेटस 1,2 व 3 ने 29 व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर उनके खिलाफ धारा 53 , 54, 188 RT ACT के अंतर्गत पेश किया। दावा विवादित खेतो की संख्या 58 और उनका कुल रकबा 10.37 है0 वाके ग्राम झारकई तहसील नदबई अंकित बताया । अधीनस्थ न्यायालय में यह दावा दिनांक 11.09.2018 को डिक्री हुआ जिसकी हमने अपील पेश की है। दावा में प्रतिवादीगण 1,7 ;8, 14, 15 व 26 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अन्य वकील हाजिर हुआ तथा प्रतिवादी नम्बर 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

की ओर से हम है । हमारा फर्ज़ी वकालतनामा लगाया गया था। दावा की तामील पर प्रतिवादी न. 7 अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है जबकि वकालतनामा पर अंगूठा निशानी है एवं अपिलांट प्रतिवादी न0 7 ने किसी भी वकील को पैरवी हेतु नियुक्त नहीं किया था। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में दिनांक 15.6.2018 को कुर्रे रिपोर्ट पेश हुई। इस कुर्रे रिपोर्ट मे माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुई। कुल विवादित 58 खसरा नंबरो में से आंशिक नंबरों अर्थात् लगभग 10 नम्वरो का ही नकशा बनाया है । इस दौरान सहखातेदारों को कोई नोटिस नही दिया गया है और तहसीलदार रिपोर्ट तैयार करने हेतु मौके पर गया ही नहीं। ऐसा रिकार्ड पर कतई भी नहीं है। साथ ही पक्षकारो को इस संबंध में सुना भी नहीं गया। कुर्रे रिपोर्ट में कुर्रा नम्बर 3 कारे के लिये बनाया गया जबकि कारे वाद में पक्षकार ही नही है वह सहखातेदार है। प्रतिवादी नम्बर 18 झम्मन पुत्र रामसुख दावा दायरी से 4 वर्ष पूर्व ही फौत हो गया और अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री मृत व्यक्ति के खिलाफ जारी होने से गलत है। कुर्रे रिपोर्ट में नियम 20 की पालना में हिस्से व किमत नही दर्शाये व विभाजित भाग एकचक मे होगे न कि हिस्सो में । नियम 21 के अनुसरण में तहसीलदार विभाजित भागो को अलग–अलग रंग से दर्शायेगा किन्तु विभाजन में केवल 9 नम्बरो का ही नक्शा है तथा शेष 49 नम्बरो का कुछ भी उल्लेख नही है। इस प्रकार नियम 20 व 21 की पालना कतई भी सही नही हुई है। अपने तर्को के समर्थन मे माननीय न्यायालय की निम्न नजीरे भी उद्धत की :—

1. 2009.(2) RRT पेज 841 (DB)
2. 1995 RRD पेज 475 (DB)
3. 2011 RRT (2) पेज 1095
4. 2021 RRT (2) पेज 1318
5. 2019 RBJ पेज 123 (DB)

8

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. 2017 (1) RRT पेज 609 (LB)

7. 2018 RBJ पेज 676 (DB)

8. 1990 RRD पेज 665

9. 1986 RRD पेज 583

10.. 2002 (1) RRT पेज 403

11. 2021 RBJ पेज 385

12. 2021 RBJ पेज 76

13. 2022(1) RRT पेज 61

14. राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21

उपरोक्त तर्कों का हवाला देकर अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

4. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की वहस पर मनन किया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र 5 मय शपथ पत्र पेश किया पर गौर करने पर पाया कि अपीलांटस द्वारा उल्लेखित करना उचित प्रतीत होते है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी मयाद के संवंध में विभिन्न अवसरो पर अपने निर्णयों में उदार दृष्टिकोण अपनाने का मत प्रतिपादित किया है ताकि काई भी पक्षकार विना सुने नही रहे और न्याय से वंचित न हो। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाना उचित है। अतः अपील देरीना पेश करने की अवधि में छूट प्रदान की जाती है।

5. पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन का अवलोकन करने पर पाया कि सम्मन की पुष्ट पर मलखान प्रतिवादी नम्बर 7 के हस्ताक्षर अंकित है और पत्रावली पर मौजूद वकालतनामा पर मलखान की अंगूठा निशानी अंकित है। अपील मीमो पर मलखान की अंगूठा निशानी ही अंकित है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी न0 7 मलखान की तामील फर्जकारी से गलत हस्ताक्षर से हुई है और संभवतया ऐसे मे वकालतनामा भी छद्म रूप से लगाया जाना प्रतीत होता है। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि कुर्रे रिपोर्ट पर प्रतिवादी न0 7 मलखान के हस्ताक्षर नही है तथा इस पर सभी

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

सहखातेदारों के हस्ताक्षर नही है। कुर्रे प्रस्ताव पर स्पष्ट अंकित है कि " उपस्थित हाजरीन द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया।" साथ ही कुर्रे रिपोर्ट के पृष्ठ 4 पर मौके पर उपस्थित आये एवं उपस्थित हाजरीन के हस्ताक्षर कराये। एक तरफ पृष्ठ न0 2 पर हाजरीन ने हस्ताक्षर से इंकार करना एवं पृष्ठ न0 4 पर हाजरीन के हस्ताक्षर होना– दोनों बाते विराधाभाषी है। इसके अलावा पृष्ठ न0 4 पर हरीकिशन सैनी पुत्र झम्मन अंकित है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी न0 18 झम्मन पूर्व में ही फौत हो गया था। इससे यह डिकी मृत व्यक्ति के खिलाफ जारी हुई है जो विधिविरुद्ध है। यह भी सही है कि कुर्रा न 3 कारे पुत्र डालू के नाम से बनाया है जबकि कारे वादपत्र में पक्षकार ही नहीं पाया जाता है जबकि वह खाते में सहखातेदार है जिससे दावा पक्षकारों के असंयोजन की खामी से ग्रस्त है। कुर्रे रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हैं कि केवल 9 खसरा नंबरों का ही नक्सा तैयार किय गया है जबकि शेष 49 नंबरों का कोई नक्सा तैयार नही किया गया है। इस प्रकार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना होना नही पायी जाती है और विवदित भूमि संपूर्ण के नक्से नंही तैयार किये गये है और न ही तहसीलदार द्वारा विभाजित भागों को पृथक–पृथक रंग से दर्शाया है। नियम 20 के तहत विभाजित भाग एकचक होगे और हिस्सो में नही होगें जबकि इस तथ्य का कुर्रेजात रिपोर्ट में कही काई अंकन नही है जिससे नियम 20 की पालना नही पायी जाती है। दिनांक 11.06.2018 को कुर्रे रिपोर्ट (मौका रिपोर्ट) तैयार की गई है उसका कोई नोटिस पक्षकारो को दिया गया हो ऐसा पत्रावली देखने से सिद्ध नही होता है। जब मौका रिपोर्ट तैयार की गई हो उस समय मौके पर सभी पक्षकार मौजूद हो और उनकी सहमति हो इस बाबत् कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इस प्रकार नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि नियम 18 से 21 की पालना कर विभाजन विधिवत नही किया गया है। हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा उद्धत माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों का भी सम्मानपूर्वक अवलोकन किया जो मौजूदा

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रकरण में उनके मददगार साबित है। विद्वान अभिषक अपीलांटस द्वारा दी गई दलीलों से हम पूर्णतया सहमत है। उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलाण्टस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2018 अपास्त किया जाता है। और प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए नियमों की पालना करते हुए विधिसंगत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर